रेरा ही करेगा सर्टिफिकेट केस की सुनवाई

पहली सुनवाई 17 फरवरी को, ग्राहकों को एक छत के नीचे मिलेगा न्याय, जिला प्रशासन के पास जाने की नहीं होगी जरूरत

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना: जमीन-फ्लैट की खरीदारी में धोखा खाने वाले ग्राहकों को अब एक छत के नीचे ही न्याय मिल सकेगा। भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के आदेश के अनुपालन के लिए उन्हें जिला प्रशासन में दौड़ नहीं लगानी होगी। बिहार रेरा के ही अधिकारी सर्टिफिकेट मामलों की भी सुनवाई करेंगे। रेरा बिहार देश भर का पहला प्राधिकरण है, जहां सर्टीफिकेट मामलों की सुनवाई उसके अपने अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इस तरह की पहली सुनवाई 17 फरवरी को ललित भवन स्थित प्राधिकरण के जन सरोकार केंद्र में होगी। राज्य सरकार ने प्राधिकरण के अनुरोध के आलोक में बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के तहत संदर्भित मामलों की सुनवाई के लिए रेरा बिहार के दो वरिष्ठ अधिकारियों को प्रमाणपत्र अधिकारी के रूप में अधिसूचित करने की अनुमति दी है । रेरा बिहार के सचिव आलोक कुमार को ऐसे मामलों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है, जिनमें वसूली राशि 25 लाख रुपये से अधिक है। वहीं इससे कम वसूली राशि वाले प्रमाणपत्र मामलों की सुनवाई वरिष्ठ भू- राजस्व पदाधिकारी अमरेंद्र शाही के द्वारा की जाएगी।

पटना जिला प्रशासन ने रेरा अधिकारियों को प्रमाणपत्र अधिकारी के रूप में ऐसे 90 मामलों की सुनवाई के लिए अधिकृत किया है। सुनवाई के पहले दिन 17 फरवरी को सचिव की अध्यक्षता वाली पीठ छह मामलों की सुनवाई करेगी और नौ मामलों की सुनवाई वरिष्ठ भू-राजस्व पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि यह एक आदर्श बदलाव है। पहले, प्राधिकरण और न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का पालन न करने की स्थिति में, दोषी प्रमोटरों द्वारा मामलों को जिला प्रशासन को स्थानांतरित कर दिया जाता था।